तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/2/21	आज पुनरावली पेश हुई, बार-बार आवाज लगाने पर भी प्रार्थी या उनके वकील उप० नहीं, सायं 5 बजे तक इन्तजार किया गया परन्तु वकील प्रार्थी या प्रार्थी उप० नहीं, जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र आगे चलाने में इच्छुक नहीं है अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अदम पैरवी खारिज किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है, पुनरावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (सुरेन्द्र प्रसाद)